

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

: संकल्प :

सं० सं०: यो०आ००६/६-०२/२०२३ ^{नौन} / यो०वि०, पटना, दिनांक ^{३१} दिसम्बर, २०२५

श्री रौशन कुमार रौनक, तत्कालीन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-०१, समस्तीपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-०१, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-०१, समस्तीपुर द्वारा गठित आरोप पत्र मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना के पत्रांक ४०५४ दिनांक ३१.०७.२०२४ द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री रौनक, सहायक अभियंता के विरुद्ध अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, लापरवाही, पूछे गये स्पष्टीकरणों का इच्छानुसार प्रतिउत्तर समर्पित करने/नहीं करने की प्रवृत्ति, वरीय पदाधिकारी का निदेश की अवहेलना की प्रवृत्ति, कार्यालय में ससमय उपस्थित नहीं रहने/आने, अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता एवं संवेदकों से पदीय अनुरूप व्यवहार नहीं करने तथा कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं करने के साथ-साथ सामान्य शिष्टाचार का पालन नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

२. विभागीय पत्रांक ४८८२ दिनांक ०२.०९.२०२४ द्वारा उक्त आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में वस्तुपरक एवं तथ्यात्मक स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश श्री रौनक, सहायक अभियंता को दिया गया। उक्त के अनुपालन में श्री रौनक, सहायक अभियंता के पत्रांक- शून्य दिनांक २१.०९.२०२४ द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। श्री रौनक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण अस्पष्ट रहने के कारण पुनः विभागीय पत्रांक ५८४१ दिनांक १६.१०.२०२४ द्वारा वस्तुपरक एवं तथ्यात्मक स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करने का निदेश श्री रौनक को दिया गया। जिसके अनुपालन में श्री रौनक के पत्रांक- शून्य दिनांक २३.१०.२०२४ द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरणों को संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया।

३. विभागीय पत्रांक ६३२६ दिनांक १३.११.२०२४ द्वारा श्री रौनक से प्राप्त स्पष्टीकरण पर मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना से किया गया। मुख्य अभियंता के पत्रांक १५६० दिनांक २८.०३.२०२५ द्वारा श्री रौनक के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

४. मुख्य अभियंता, पटना द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में श्री रौनक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या- २१९४ दिनांक २२.०४.२०२५ द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम- ९ के तहत

श्री रौनक, सहायक अभियंता को निलंबित करते हुए मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया।

5. तत्पश्चात मुख्य अभियंता, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आधार पर विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक 2611 दिनांक 15.05.2025 द्वारा स्पष्टीकरण/बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने का निदेश श्री रौनक, सहायक अभियंता (निलंबित) को दिया गया। विभागीय पत्रांक 3253 दिनांक 16.06.2025, पत्रांक 4044 दिनांक 17.07.2025 द्वारा स्मारित किया गया। पुन विभागीय पत्रांक 5001 दिनांक 29.08.2025 एवं पत्रांक 6256 दिनांक 14.11.2025 द्वारा स्मारित करते हुए निदेशित किया गया कि एक पक्ष के अंदर स्पष्टीकरण/बचाव बयान विभाग को समर्पित किया जाय। यदि निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण/बचाव बयान विभाग को समर्पित नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उनको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और ऐसे में विभाग द्वारा आरोप पत्र के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

6. विभागीय अधिसूचना सं०— 2194 दिनांक 22.04.2025 द्वारा निलंबन आदेश के विरुद्ध समीक्षा के निरस्तीकरण हेतु श्री रौनक, सहायक अभियंता (निलंबित) के पत्रांक— शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया। तत्पश्चात विभाग द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण/बचाव बयान के आलोक में श्री रौनक द्वारा अन्य अभ्यावेदनों के माध्यम से विभाग को सूचित किया गया कि जबतक सरकारी नियमावली अनुसार उनके अपील पर अपीलीय प्राधिकार (प्रधान सचिव) के स्तर से कोई उचित, विधिसम्मत एवं निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया जाता तबतक स्पष्टीकरण की मांग को उचित सीमाओं में सीमित रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि श्री रौनक को उनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण/बचाव बयान समर्पित करने का निदेश अनेक बार दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा स्पष्टीकरण/बचाव बयान विभाग को समर्पित नहीं किया गया है।

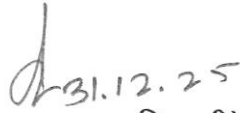
7. तत्पश्चात समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रौनक, सहायक अभियंता (निलंबित) के विरुद्ध आरोप पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहद जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रणजीत कुमार, अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री ललन प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

8. श्री रौशन कुमार रौनक, सहायक अभियंता (निलंबित), मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

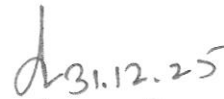

(डॉ० नूरुल हक सिवानी)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक: यो०आ०६/६-०२/२०२३ ~~निलंबित~~ /यो०वि०,पटना,दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२५

प्रतिलिपि: श्री रणजीत कुमार, अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-२१७८ दिनांक २८.०२.२००७ के आलोक में श्री रौशन कुमार रौनक, सहायक अभियंता (निलंबित) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही यथाशीघ्र संपन्न कर निर्धारित अवधि में जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

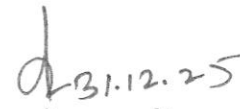
अनु०:- यथोक्त।


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक: यो०आ०६/६-०२/२०२३ ~~निलंबित~~ /यो०वि०,पटना,दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२५

प्रतिलिपि: श्री ललन प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री रौशन कुमार रौनक, सहायक अभियंता (निलंबित), मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- यथोक्त।


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक: यो0आ06/6-02/2023 - 7/7/ / यो0वि0,पटना,दिनांक 3/ दिसम्बर, 2025
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.12.25

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक: यो0आ06/6-02/2023 - 7/7/ / यो0वि0,पटना,दिनांक 3/ दिसम्बर, 2025
प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई- गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.12.25

सरकार के उप सचिव